बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–.......................

संख्या–8/आ0 (राज0 उ0)–2–43/2025–4404....../ श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज के द्वारा दिनांक–16.08.2025 को छापामारी के दौरान बलथरी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक स्व0 अभिषेक कुमार की मृत्यु से संबंधित मामले में अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने तथा बलथरी चेकपोस्ट पर अभियोजन पंजी समुचित रूप से संधारित नहीं रहने तथा कम बल के साथ छापामारी किये जाने से घटित हुई घटना के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–7188 दिनांक–18.12.2025 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में "तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध" करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री अमृतेश कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) दिनांक–24.01.2026 को समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और न ही वे उक्त घटना के लिए कहीं से भी जिम्मेवार हैं एवं कहीं से भी दोषी नहीं हैं। वे अपने कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु हमेशा तत्पर रहे हैं एवं विभाग के द्वारा दिए गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन एवं मद्यनिषेध को शत–प्रतिशत सफल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने अपने अर्जी में यह भी अंकित किया है कि श्री अभिषेक कुमार, गृह रक्षक (सैन्य सं0–221648) की मृत्यु मोटरसाईकिल से उक्त शराब तस्कर का पीछा करने के क्रम में अज्ञात शराब तस्कर बाईक सवार व्यक्ति द्वारा जान लेने के नियत से टक्कर मार दिये जाने के कारण हुई थी।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अर्जी की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि पुर्नविलोकन अर्जी में आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार द्वारा कोई नया तथ्य नहीं रखा गया है। उनके द्वारा पुनः उन्ही तथ्यों को दुहराया गया है जिसका विचारण पुर्व में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया जा चुका है। पूर्व में उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की पूर्ण समीक्षोपरांत ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उन्हे दिनांक–16.08.2025 को छापामारी के दौरान बलथरी चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षक स्व0 अभिषेक कुमार की मृत्यु से संबंधित मामले में अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाने एवं प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किये जाने तथा बलथरी चेकपोस्ट पर अभियोजन पंजी समुचित रूप से संधारित नहीं रहने तथा कम बल के साथ छापामारी किये जाने से घटित हुई घटना के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्ण समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–7188 दिनांक–18.12.2025 द्वारा लघु दंड के रूप में 03 (तीन) वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित करने का निर्णय लिया गया था। इस घटना के संबंध में उपायुक्त ई0आई0बी0 की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जॉच दल के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक, मद्यनिषेध, गोपालगंज का अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर नियंत्रण का पूर्णतः अभाव है। स्पष्टतः उनके द्वारा समूचित रूप से मद्यनिषेध का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं किया गया जिसके कारण जिले में इस तरह की घटना बार–बार घटित हुई है।

4. विभिन्न विभागीय बैठक में आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध को औचक निरीक्षण करने हेतु निदेशित करने के बावजूद अभियोग पंजी संधारित नहीं पाया जाना उनकी लापरवाही को दर्शाता है। कम बल से चेकपोस्ट पर जॉच करने के कारण जिले में दो बड़ी घटनाएं घटित हुई है, जो आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज की कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। विभागीय स्तर पर आहुत की गयी विभिन्न बैठकों में भी निदेश दिया गया है कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ वाहनों की सघन जॉच एवं जब्ती में वृद्धि के साथ कार्यकलाप में सुधार लाया जाय। चेकपोस्ट पर चौबीसो घंटे सभी दिन वाहन जॉच अभियान चलाने एवं उपलब्ध संसाधनों ड्रोन/स्नीफर डॉग/हैन्ड हेल्ड स्कैनर आदि का समुचित उपयोग किया जाय। सभी अधीक्षक सहायक आयुक्त को लगातार निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का भी निदेश दिया गया था।

5. दिनांक–12.08.2025 को आहुत विभागीय बैठक में भी बलथरी चेकपोस्ट के कार्यकलाप से असंतोष व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी तथा दिनांक–29.07.2025 को आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में आहुत बैठक में अधीक्षक गोपालगंज को अवैध शराब तस्करी एवं भण्डारण को लेकर विशेष सक्रियता बरतने एवं आसूचना संग्रहण कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेशों के उपरांत भी गोपालगंज जिला में लगातार अप्रिय घटनाऍं घटित हो रही है, जो आरोपी पदाधिकारी श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर समुचित नियंत्रण नहीं रख पाना तथा उनके द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं किया जाना दर्शाता है। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के समीक्षोपरांत श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–7188 दिनांक–18.12.2025 द्वारा अधिरोपित लघु दंड के रूप में 03 वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अमृतेश कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या–7188 दिनांक–18.12.2025 द्वारा अधिरोपित तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–43/2025–................/ पटना, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–43/2025–................/ पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–43/2025–4404/ पटना, दिनांक–17.07.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/उपायुक्त मद्यनिषेध, सारण प्रमंडल, छपरा/ श्री अमृतेश कुमार, अधीक्षक मद्यनिषेध, गोपालगंज/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–05 एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/2026

सरकार के संयुक्त सचिव